भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / *Variable Energy Cyclotron Centre*

1 / एएफ, बिधान नगर/1/AF Bidhan Nagar
कोलकाता – 700 064 / Kolkata – 700 064

संदर्भ: वीईसीसी / प्रशा / सीएचएसएस / 2010
Ref: VECC/ADM/CHSS/2010/ 885

April 26 2010

परिपत्र सीएचएसएस, कोलकाता
CIRCULAR: CHSS, Kolkata

विषय: सीएचएसएस, कोलकाता के सभी लाभार्थियों को नया सीएचएसएस कार्ड जारी किया जाना।

Sub: Issue of Fresh CHSS Cards to all beneficiaries of CHSS Kolkata

केन्द्रीय सिविल सेवा (संभोजित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किये जाने के कारण प. ऊ. वि. ने सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेतु हकदारी का निम्नलिखित पुनर्वर्गीकरण प्रेषित किया है :

Consequent on the revision of pay of employees as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, DAE has communicated the following reclassification of the entitlement of Hospital accommodation under CHSS :-

सारणी क : मौजूद कर्मचारियों तथा 01.01. 2006 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए.

TABLE A : FOR EXISTING EMPLOYEES AND EMPLOYEES RETIRED ON OR AFTER 01.01.2006 :-

क्र. सं. Sl. No.	कर्मचारियों की श्रेणी Category of Employees	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैंन्ड से कम अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band of less than Rs. 15000/- per month or the equivalent pay in the pre-revised scale.	एक कमरें में चार बेड तथा कॉमन टायलेट/बाथरुम Four beds in a room with common toilet/bathroom.
2.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैंन्ड से अधिक परन्तु रु. 67,000/- से कम अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band of Rs. 15,000/- and above but below Rs. 67,000/-per month or the equivalent pay in the pre-revised scale.	एक कमरें में दो बेड तथा संलग्न टायलेट/बाथरुम Two beds in a room with attached toilet/bathroom.
3	ऐसे कर्मचारी जो रु. 67,000/- के पे बैंन्ड में या इससे अधिक अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band of Rs. 67,000/- per month and above or equivalent pay in the pre-revised scale.	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक बेड वाला एसी आवास तथा संलग्न टायलेट/बाथरुम Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet/bathroom.

सारणी ख : 01.01.2006 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए.

TABLE B: FOR EMPLOYEES RETIRED PRIOR TO 01.01.2006 :-

क्र. सं. Sl. No.	कर्मचारियों की श्रेणी Category of Employees	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व वेतनमान में रु. 8,000/- का मूल वेतन या उससे कम वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते थे। Employees retired with basic pay in the pre-revised scale of below Rs. 8000/- per month.	एक कमरें में चार बेड तथा कॉमन टायलेट/बाथरुम Four beds in a room with common toilet/bathroom.
2.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व वेतनमान में रु. 8,000/- का मूल वेतन या उससे अधिक वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते थे। Employees retired with basic pay in the pre-revised scale of Rs. 8000/- and above per month.	एक कमरें में दो बेड तथा संलग्न टायलेट/बाथरुम Two beds in a room with attached toilet/bathroom.
3.	वैज्ञानिक अधिकारी (ओएस) तथा इसके ऊपर Scientific Officers (OS) and above.	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक बेड वाला एसी आवास तथा संलग्न टायलेट/बाथरुम Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet/bathroom.

अब अस्पताल आवास हेतु हकदारी का उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण के अनुसार सीएचएसएस, कोलकाता के लाभार्थियों को नये सीएचएसएस कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है।

It has now been decided to issue fresh CHSS Cards to all the beneficiaries of CHSS, Kolkata in accordance with the above mentioned reclassification of the entitlement of Hospital accommodation.

उपरोक्त सारणी 'क' में क्रम संख्या 1,2 तथा 3 पर उल्लेखित मौजूदा कर्मचारी वर्गो को क्रमशः III, II तथा I के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा।

The categories of existing employees mentioned at serial numbers 1, 2 & 3 in Table 'A' will be categorized as III, II & I respectively.

सारणी 'क' तथा सारणी 'ख' में क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 में उल्लेखित सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्गो को क्रमशः III(R), II (R) तथा I (R) के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा।

The categories of retired employees mentioned at serial numbers 1, 2 & 3 in Tables 'A' & 'B' will be categorized as III(R), II(R) & I(R) respectively.

अतः सभी मौजूदा तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों से निवेदन है कि वे प्रत्येक लाभार्थी के दो स्टॉम्प साईज छायाचित्रों के साथ संलग्न प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

All the existing employees and the retired employees are, therefore, requested to submit their application in the enclosed proforma alongwith two stamp size photographs of each of the beneficiaries.

अगर मौजूदा तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने माता–पिता के लिए सीएचएसएस कार्ड प्राप्त करना चाहे, तो उन से निवेदन है कि आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :

In case the existing employees and retired employees desire to obtain CHSS Cards for parents, they are requested to submit the following documents alongwith the application.

क) सत्यापन के लिए उनके तथा उनके माता–पिताओं के राशन कार्ड की प्रतियाँ।

a) Copies of their ration cards and the ration cards of their parents for verification

ख) माता–पिताओं की मासिक/वार्षिक आय संबंधी वर्तमान दस्तावेजों की प्रतियाँ।

b) Copies of current documents regarding monthly/annual income of parents.

विधिवत भरे आवेदन प्रपत्र के साथ साथ उक्त दस्तावेज 21.05.2010 (शुक्रवार) तक या उससे पहले सहायक कार्मिक अधिकारी (सा प्र), वीईसीसी, के पास पहुँच जाना चाहिए। खाली आवेदन प्रपत्र प्रशासनिक अनुभाग में उपलब्ध है।

The duly filled-in application forms, alongwith above said documents, should reach the Asstt Personnel Officer (GA), VECC, Kolkata latest by 21.05.2010 (Friday). Blank Applications are available in Administration Section

जैसे ही नये सीएचएसएस कार्ड जारी करने के लिए तयार हो जाते है, सेवानिवृत कर्मचारियों से निवेदन किया जायेगा कि वे खुद आयें अथवा संलग्न प्राधिकार पत्र के साथ अपने प्रतिनिधि को स. का. अ. (सा प्र), वीईसीसी के पास भेजे ताकि पुराने सीएचएसएस कार्ड सुपुर्द कर नये सीएचएसएस कार्ड ले सके।

As soon as the fresh CHSS Cards are ready for issue, the retired employees will be requested to visit in person or send a representative alongwith the enclosed authorisation letter to APO (GA), VECC, Kolkata in order to surrender the old CHSS Cards and collect the fresh CHSS Cards.

26/4/10

(के. गोपालकृष्णन/K. Gopalakrishnan)
प्रशासनिक अधिकारी – III/Administrative Offficer-III

<u>All Notice Boards</u>

<u>Distribution</u>

1	Director's Office, VECC, Kolkata	निर्देशक कार्यालय, वीईसीसी, केलकाता।
2	Chairman, CHSS Committee, VECC, Kolkata	अध्यक्ष, सीएचएसएस, समिती, केलकाता।
3	Vigilance Officer, VECC, Kolkata	सतर्कता अधिकारी, वीईसीसी, केलकाता।
4	Head of Groups/Division/Sections, VECC, Kolkata	सभी वर्ग/प्रभाग/अनुभाग के प्रमुख, वीईसीसी, केलकाता।
5	Head of Goups/Division/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata	वीईसीसी, केलकाता स्थित प. ऊ. वि. के अन्य यूनिटों के सभी वर्ग/प्रभाग/अनुभाग के प्रमुख
6	Head of Medical Section, VECC, Kolkata	प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी, केलकाता।
7	Dy. Controller of Accounts, VECC, Kolkata	उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी, केलकाता।
8	Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata	वेतन एवं लेखा अधिकारी, वीईसीसी, केलकाता।
9	Project Engineer, DCSEM(ER), Kolkata	परियोजना अभियंता, डीसीएसईएम, (ईआर), केलकाता।
10	Liaison Office, AMD(ER), Kolkata	सम्पर्क अधिकारी, एएमडी (ईआर), केलकाता।
11	Head of EC (QA), NPCIL, Kolkata Unit	प्रमुख, ईसी (क्यूए), एनपीसीआईएल, कोलकाता एकक।
12	Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata	कय अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता।
13	Asst. Store Officer, CRSU, DPS, Kolkata	सहा. भंडार अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता।
14	Asst. Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata	सहा. लेखा अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता।
15	Secretary, VECC Staff Association	सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संघठन।
16	All Prime Beneficiaries of CHSS, Kolkata	सीएचएसएस, केलकाता के सभी मुख्य लाभार्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी।